न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 76/2019/225 (2019/00076)

1. श्रीमती मिठू देवी पत्नि स्व लादूराम पुत्री स्व0 वल्लभा, जाति गुर्जर, निवासी सावंतसर, गुर्जरो की ढाणी, मदनगंज—किशनगढ़, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. नगर परिषद, किशनगढ़, जरिये आयुक्त नगर परिषद, किशनगढ़ जिला अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ दिनांक 10.5.2017 प्रार्थना पत्र संख्या 83/2014.

उपस्थितः—

1. श्री शौकिन्दलाल गुर्जर, वकील अपीलांट ।
2. श्री इन्द्रेश रामचंदानी, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः— 29.10.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के निर्णय दिनांक 10.5.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष अप्रार्थीगण/रेस्पो0 के विरूद्ध वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर कथन किया कि ग्राम मदनगंज तहसील किशनगढ़ में स्थित साबिक खसरा नंबर 1546 व 1548 जिसके एकीकरण खसरा संख्या 851 के वर्तमान खसरा नंबर 1375 रकबा 04—00—00, खसरा संख्या 1376 रकबा 09—10—00, खसरा संख्या 1377 रकबा 7—10—00, खसरा संख्या 1377/2742 रकबा 4—16—00 अवस्थित है । उपरोक्त आराजियात प्रार्थिया/अपीलांट के पूर्वज की पुश्तैनी बतौर बहैसियत खातेदारी कब्जे काश्त की आराजियात संवत् 2015 से 2018 में प्रार्थिया के ससुर वल्लभा पुत्र लालू कोम गुर्जर के नाम दर्ज थी । उनके बाद प्रार्थिया के पति लादूराम पुत्र वल्लभा तथा प्रार्थिया के पति के स्वर्गवास के बाद प्रार्थिया अपनी पुश्तैनी आराजियात पर आज दिनांक काबिज काश्त चली आ रही है । उपरोक्त वर्णित आराजियात पर वादिया पूर्वजों के समय से संवत् 2015 से बतौर खातेदार काश्तकार काबिज चली आ रही है जिससे वादिया को वादवर्णित आराजियात का राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 15 व 19 एवं 19 के संशोधित उपबंध के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। किन्तु अप्रार्थीगण बिना किसी अधिकार के प्रार्थिया के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने

अपने निर्णय दिनांक 10.5.2017 द्वारा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होकर निरस्तनीय है । वादग्रस्त आराजियात बाबत् प्रार्थिया के पति एवं ससुर द्वारा प्रस्तुत खातेदारी बाबत् वाद विचाराधीन होन के बावजूद प्रार्थिया एवं उसके पति को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने विवादित आराजियात आदेश दिनांक 12.4.2002 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी थी । विद्वान जिला कलक्टर के इस आदेश के विरूद्ध प्रार्थीया/अपीलांट ने हाजा न्यायालय के समक्ष अपील बउनवानी मिठूदेवी बनाम नगर पालिका किशनगढ़ अपील संख्या 81/2013 पेश की थी जिसे न्यायालय हाजा ने निर्णय दिनांक 6.9.2013 को स्वीकार कर उक्त आराजी की हद तक जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश दिनांक 12.4.2002 निरस्त कर दिया था । वादग्रस्त आराजियात पर रेस्पो0 का कब्जा नहीं है ना ही कब्जे बाबत् कोई उल्लेख ही किया है । विवादित आराजियात अपीलांट के पूर्वज की पुश्तैनी बतौर बहैसियत खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी संवत् 2015 से 2018 में प्रार्थिया के ससुर वल्लभा पुत्र लालू कौम गुर्जर के नाम दर्ज थी । वल्लभा की मृत्यु उपरांत अपीलांट के पति लादूराम पुत्र वल्लभा के कब्जे काश्त में तथा लादूराम की मृत्यु उपरांत अपीलांट के कब्जे काश्त में चली आ रही है । विवादित आराजियात पर अपीलांट अपने पूर्वजों के समय से बतौर खातेदार काबिज काश्त चली आ रही है । राज0काश्त0अधि0 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व अर्थात् संवत् 2015 से पूर्व से बतौर काश्तकार एवं खातेदार काबिज चले आने से धारा 15 व 19 एवं 19 के संशोधित उपबंध के तहत वादी स्वतः ही खातेदार हो गये है । विवादित आराजियात पर अपीलांट 50 वर्षो से भी अधिक समय से काबिज काश्त चले आ रहे है जिससे नियमन/आवंटन एवं खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है । इस संबंध में राज्य सरकार ने समय समय पर परिपत्र जारी किये है । विवादित भूमि के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के समक्ष प्रकरण संख्या 4755/2014 में दिनांक 26.8.2014 को वादग्रस्त आराजी के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की एवं यथास्थिति के आदेश पारित किये गये है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि कारित की है। प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलांट के पक्ष में होते हुए भी अधी0न्याया0 ने अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की है जो विधिविरूद्ध है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना आदेश पारित किया है । वाद के विचाराधीन रहते विवादित आराजियात को <u>हस्तातंरण/नियम</u> करने की कार्यवाही की जा रही है । ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करना आवश्यक एवं न्यायोचित था। अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश से अपीलांट द्वारा वाद प्रस्तुत करने का औचित्य ही समाप्त हो जावेगा । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि अधी0न्याया0 के आदेश की सूचना प्रार्थिया को उनके अधिवक्ता द्वारा नहीं दी गई जिससे जानकारी नहीं हो सकी थी । विपक्षी द्वारा मौके पर दखल करने पर दिनांक 17.2.2019 को नवीन अधिवक्ता से इस बाबत् जानकारी देने हेतु कहा जिस पर अधिवक्ता ने प्रकरण की जानकारी कर आदेश दिनांक 10.5.2017 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की सलाह दी । तत्पश्चात् प्रार्थिया ने अधी0न्याया0 के आदेश की प्रमाणित प्रतियों हेतु आवेदन दिनांक 18.2.2019 को पेश किया जिस पर दिनांक 29.2.2019 को नकल प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है ।

अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा नगर परिषपद किशनगढ़ को हस्तातंरित की गई थी । उक्त हस्तातंरण आदेश को न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 6.9.2013 को निरस्त किया गया था जिसके विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में धारा 76 के तहत अपील पेश की गई है जो विचाराधीन है । अपीलांट ने न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 6.9.2013 के आधार पर वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है किन्तु उक्त निर्णय के विरूद्ध मान0 मण्डल में अपील विचाराधीन है जिससे न्यायालय हाजा का निर्णय अंतिम नहीं माना जा सकता है । विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने दिनांक 12.4.2002 को विवादित आराजियात रेस्पो0 संख्या 1 को आबादी प्रयोजनार्थ सेट अपार्ट कर अंतरित/आवंटित की है । वर्तमान राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजियात कृषि भूमि नहीं होकर नगर परिषद किशनगढ़ के आबादी क्षेत्र में अवस्थित है । विवादित आराजियात पर अपीलांट का कब्जा काश्त नहीं है । रेस्पो0 संख्या 1 को विवादित आराजियात के हस्तातंरण आदेश की पालना में नियमानुसार राशि राजकोष में जमा होकर राजस्व रिकार्ड में रेस्पो0 संख्या 1 का नाम दर्ज किया जा चुका है । विद्वान अधी0न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विवेचन, विश्लेषण कर प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

7. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 ने बहस में रेस्पो0 संख्या 1 की बहस का समर्थन करते हुए कथन किया कि विवादित भूमियां नगर परिषद किनगढ़ की सीमा/पैराफेरी क्षेत्र में होने से नियमानुसार वादिया खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है । विवादित भूमियों पर प्रार्थिया एवं उनके पूर्वजों का निरन्तर कब्जा काश्त नहीं रहा है ना ही वर्तमान में कब्जा है । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

8. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है। विद्वान वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम अपीलांटस को प्रकरण के गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

9. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया । विवादित आराजियात जिला कलक्टर, अजमेर ने हस्तातंरण आदेश क्रमांक राजस्व/एफ–12(सी)/3436/165 दिनांक 12.4.2002 द्वारा ग्राम मदनगंज तहसील किनगढ़ के खसरा नंबर 1375 रकबा 4 बीघा, खसरा संख्या 1376 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 1377 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा व आराजी खसरा संख्या 1377/2742 रकबा 4 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 25 बीघा 16 बिस्वा भूमि अन्य भूमियों के साथ नगर पालिका, किशनगढ़ को हस्तातंरित किये जाने के आदेश पारित किये गये थे । जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 12.4.2002 के विरूद्ध प्रार्थिया/अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील संख्या 81/2012 मिठूदेवी बनाम नगर पालिका व अन्य पेश की गई जिसे न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 6.9.2013 द्वारा स्वीकार की जाकर नगर पालिका अजमेर को विवादित आराजियात की हद तक विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 12.4.2002 को निरस्त किया गया है । न्यायालय हाजा के उक्त आदेशों की पालना में राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 के अनुसार विवादित आराजियात जरिये नामांतकरण संख्या 2275 दिनांक 9.7.2014 के अनुसार सिवायचक दर्ज की गई है । अप्रार्थी/रेस्पो0 ने

अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं दौराने बहस यह कथन किया है कि न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 6.9.2013 के विरूद्ध मान0राजस्व मण्डल में राजस्थान भू–राजस्व अधि0 की धारा 76 के तहत अपील प्रस्तुत की जा चुकी है इसलिये न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश अंतिम नहीं हुआ है । इस कारण प्रस्तुत वाद अवधारणीय नहीं है। रेस्पो0 ने विवादित भूमियां नगर परिषद, किशनगढ़ की सीमा/पैराफेरी क्षेत्र में स्थित होने का कथन कर प्रचलित नियमों के तहत खातेदारी प्राप्त करने की प्रार्थिया अधिकारी नहीं होने का कथन किया है । मूल वाद अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन है जिसमें प्रार्थिया/वादी को क्या हक व अधिकार प्राप्त होगें इन सब तथ्यों का निर्धारण बाद साक्ष्य किया जावेगा किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजियात सिवायचक दर्ज है तथा सिवायचक भूमि बाबत् राज्य सरकार को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है । विद्वान अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेनानुसर अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

10. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.5.2017 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर